

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

नं० व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की
तामील में जारी हुए



न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 13/2014 अवमानना प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जाब्ता दिवानी
(GCMS No. 2014/00086)

हरदीप सिंह पुत्र गुरुबक्श सिंह जटसिख निवासी चक 20 पी.एस. तहसील
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

.....अपीलाट

बनाम

1. संतवीर पुत्र श्री मोहन सिंह
 2. निरजन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह
 3. समा कौर पुत्री जगत सिंह
 4. मोहन सिंह पुत्र साधु सिंह
 5. ग्राम पंचात 37 जी.जी. घुटुवाला, जरिये सरपंच
- जाति जटसिख निवासी
3 एन.एन. तहसील
पदमपुर जिला
श्रीगंगानगर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

27.03.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट श्री विनोद कुमार पुरोहित ने उपस्थित होकर हिदायत पैरवी नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स 2 व 4 की ओर से अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक ने प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 का देहान्त हो चुका है तथा मृतकों के विरुद्ध प्रकरण नहीं चल सकता। मृतकों के वारिसान को आज तक रिकार्ड पर भी नहीं लिया गया है। उक्त प्रकरण अबेट हो चुका है। अतः प्रकरण को निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 19.03.2002 की पालना नहीं होने के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट ने उपस्थित होकर हिदायत पैरवी नहीं होने के कारण प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया। अतः यह अवमानना प्रार्थना पत्र हिदायत पैरवी नहीं (No Instruction) होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

*No instruction
हिदायत पैरवी
नहीं
Linede
us*